



**“कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के संदर्भ में और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 46 के अनुसार वेबसाइट पर प्रकटीकरण।”**

---

### **कंपनी का नया और पुराना नाम**

हमारी कंपनी 25 अप्रैल, 1970 को नई दिल्ली में “द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड” के तौर पर कंपनीज़ एक्ट, 1956 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसके बाद, हमारी कंपनी का नाम बदलकर इसका मौजूदा नाम, “हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड” कर दिया गया और 9 जुलाई, 1974 को दिल्ली और हरियाणा के उस समय के रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ ने एक नया सर्टिफिकेट ऑफ़ इनकॉर्पोरेशन जारी किया।

### **बिज़नेस की जानकारी**

कंपनी जिन मुख्य उद्देश्यों के लिए बनाई गई है, वे हैं:

1. हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर/सब-सेक्टर को फाइनेंस/क्रेडिट सुविधा देना, जिसमें शहरी विकास पर खास जोर दिया जाएगा।
2. हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर/सब-सेक्टर के विकास के लिए फाइनेंस करना, काम करना या सहयोग करना, जिसमें भारत और विदेश में नए/सैटेलाइट शहर बसाना शामिल है।
3. हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर/सब-सेक्टर की फाइनेंसिंग के मकसद से जारी किए गए डिबेंचर और बॉन्ड में सब्सक्राइब करना।
4. बिल्डिंग मटेरियल के इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की फाइनेंसिंग करना या उन्हें शुरू करना।
5. भारत सरकार और दूसरे सोर्स से समय-समय पर ग्रांट या दूसरे तरीकों से मिले फंड को मैनेज करना, ताकि हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर/सब-सेक्टर को चैनलाइज़ या फाइनेंस किया जा सके या देश में उनके विकास में मदद की जा सके।
6. भारत और विदेश में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर/सब-सेक्टर से जुड़ी कंसल्टेंसी सर्विस को बढ़ावा देना, स्थापित करना, मदद करना, सहयोग करना और देना।
7. बिज़नेस, या हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर/सब-सेक्टर से जुड़े अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड (AIF), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) और/या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के यूनिट/शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करना और/या सब्सक्राइब करना और इन सेक्टर/सब-सेक्टर में इनोवेशन को भी आसान बनाना।

8. हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर/सब-सेक्टर के मकसद से HUDCO का अपना म्यूचुअल फंड बनाना और/या म्यूचुअल फंड के यूनिट वगैरह में इन्वेस्ट करना और/या सब्सक्राइब करना।

### **इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति के नियम और शर्तें**

कंपनी एक्ट, 2013 के सेक्शन 149(6), सेबी (LODR) रेगुलेशन, 2015 के रेगुलेशन 25 और दूसरे लागू कानूनों के साथ-साथ समय-समय पर जारी सरकारी गाइडलाइंस के तहत, भारत के राष्ट्रपति के पास एक्ट के साथ-साथ समय-समय पर बदले गए सेबी (LODR) रेगुलेशन, 2015 का पालन करने के लिए ज़रूरी संख्या में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नियुक्त करने का अधिकार होगा।

### **नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स (इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स/नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर) को पेमेंट करने के क्राइटेरिया**

हडको के MoA और AoA के आर्टिकल नंबर 39 (p) के मुताबिक, नॉन-ऑफिशियल (इंडिपेंडेंट) डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उसकी किसी कमिटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए सिटिंग फीस दी जा सकती है, जैसा कि बोर्ड समय-समय पर तय करेगा। यह फीस कंपनीज़ एक्ट, 2013 के तहत तय मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं होगी। एक्ट के किसी भी प्रोविज़न के तहत कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की किसी भी अलग मीटिंग में शामिल होने के लिए भी फीस देनी होगी। मंज़ूर इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भी फीस देनी होगी।

अभी, नॉन-ऑफिशियल (इंडिपेंडेंट) डायरेक्टर्स को बोर्ड की हर मीटिंग के लिए Rs.30,000/- और डायरेक्टर्स की कमिटी की हर मीटिंग के लिए Rs.25,000/- की सिटिंग फीस दी जा रही है, जिसमें वे शामिल होते हैं।

इसके अलावा, पार्ट-टाइम ऑफिशियल (गवर्नमेंट नॉमिनी) डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उसकी किसी कमिटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए कंपनी कोई पारिश्रमिक या सिटिंग फीस नहीं देती है।

**सूचीबद्ध संस्था के नामित अधिकारियों की संपर्क जानकारी, जो निवेशक शिकायतों के निपटान और सहायता के लिए जिम्मेदार हैं। शिकायत निवारण के लिए ईमेल पता और अन्य प्रासंगिक विवरण।**

श्री विकास गोयल  
कंपनी सेक्रेटरी  
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
हडको भवन, इंडिया हैबिटेड सेंटर,  
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003  
टेलीफोन नंबर: 011- 24649610-23  
ई-मेल आईडी: [cswhudco@hudco.org](mailto:cswhudco@hudco.org)

**मीडिया कंपनियों और/या उनके सहयोगियों के साथ किए गए एग्रीमेंट की जानकारी।**

हडको के ब्रांड को लगातार कैंपेन के ज़रिए प्रमोट करने के लिए समय-समय पर एडवरटाइजिंग एजेंसियों को काम पर रखा जाता है। हडको ने क्रिएटिव एडवरटाइजिंग कैंपेन डिज़ाइन करने और ज़रूरी मीडिया प्लान सुझाने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज़ देने के लिए जून 2024 से जून 2026 तक, दो साल के समय के लिए नीचे दी गई एंटीटीज़ के साथ एक एग्रीमेंट किया है।

1. मेसर्स कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन
2. मेसर्स क्रेयॉन्स एडवरटाइजिंग लिमिटेड (07/10/2025 से पैनल से हटा दिया गया)
3. मेसर्स क्रिटिक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
4. मेसर्स ग्राफिसैड्स लिमिटेड
5. मेसर्स आरके स्वामी
6. मेसर्स स्पैन कम्युनिकेशन्स

\*\*\*\*\*